एक झलक

एनटीपीसी बरौनी के नए परियोजना प्रमुख जॉयदीप घोष ने पदभार ग्रहण किया

बीहट/बेगूसराय/सं.। जॉयदीप घोष ने एनटीपीसी बरौनी के परियोजना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है । वह 1989 में एक कार्यकारी प्रशिक्षु मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में एनटीपीसी बरौनी में शामिल हुए। फरक्का, सारणी (कंसल्टेंसी),कहलगांव, कुडगी, रायपुर, विंध्याचल जैसी परियोजनाओं में सेवा देने के बाद उन्होंने बरौनी में मुख्य महाप्रबंधक ओएंडएम के रूप में फरवरी 2024 में कार्यभार संभाला। उन्होंने अब परियोजना प्रमुख एचओपी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।वहीं प्रशासनिक भवन में स्थित कार्यालय में निवर्तमान परियोजना प्रमुख राजीव खन्ना ने नये प्रमुख को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी और उनकी सफलता की कामना की। श्री घोष ने अपनी नयी भूमिका निभाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बरौनी परियोजना का नेतृत्व करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मेरा लक्ष्य एनटीपीसी बरौनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना है।

साहेबपुरकमाल ने खो दिया एक कुशल नेतृत्वकर्ता

साहेबपुरकमाल/बेगूसराय/सं.। प्रखंड क्षेत्र के परोरा गांव निवासी सत्येंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन की सूचना फैलते ही प्रखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वे वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, कर्मठ और समर्पित नेतृत्वकर्ता के साथ साथ जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इंडिया गठबंधन के बेगूसराय लोकसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार राय के द्वारा गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दिवंगत सत्येंद बाबू एक कुशल संगठनकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे,जिनके निधन से साहेबपुरकमाल ने एक नेतृत्वकर्ता को खो दिया है। उन्होंने सत्येंद्र सिंह के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया। भाकपा के अंचल सचिव मनोज कुमार ने कहा कि वैचारिक मत भिन्नताओं के बावजूद दिवंगत सत्येंद्र बाबू हम लोगों के लिए मार्गदर्शक रहे।समाज के प्रति उनका समर्पण भाव और मानवतावादी सोच से उनसे संबद्ध सभी लोग प्रेरित होते रहे। मौके पर भाकपा के राज्य परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, मोहनपुर खगड़िया के पूर्व मुखिया अनिल कुमार सिंह, जिप सदस्य राम प्रकाश पासवान, पंसस पुष्प कुमार पासवान, पंसस सौरभ कुमार सिंह, सुमित झा उर्फ राजा बाबू, पूर्व मुखिया बबलू झा, पूर्व पंसस रामप्रवेश महतो, चुनचुन चौरसिया, मोहम्मद जावेद आलम, अनवर आलम, मोहम्मद नौशाद, ताय महतो, सेठो महतो, रतन पासवान, राजेश कुमार, सूरज महतो, कृष्ण कुमार पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

वारंटी गिरफ्तार

नावकोठी/बेगूसराय/सं.। थाना क्षेत्र अन्तर्गत समसा पंचायत से नालिसी वाद के वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि शंकर सहनी पिता स्वर्गीय सागर सहनी ग्राम समसा निवासी पर नालिसी वाद बेगूसराय न्यायालय में हाजिर नहीं होने के आधार पर वारंट निर्गत किया गया था। वारंट निर्गत के आधार पर गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में बेगूसराय जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी में एस आई मनोज प्रसाद और सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे।

विभिन्न मामलों के दो आरोपी गिरफ्तार

बछवाड़ा/बेगूसराय/सं.। थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में छापेमारी कर बछवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों के दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष बछवाड़ा अमित कुमार कांत ने बताया कि गोविंदपुर तीन पंचायत के सूरो गांव निवासी अरुण सिंह के पुत्र दीपक कुमार उर्फ लालू और बछवाड़ा पंचायत के बछवाड़ा गांव निवासी इंद्र कुमार यादव के पुत्र बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त बछवाड़ा थाना का नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है। उन्होंने बताया कि दीपक कुमार उर्फ लालू के विरुद्ध बछवाड़ा थाना में अपने ही ग्रामीण के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज है। वहीं बिट्टू कुमार के विरुद्ध बछवाड़ा थाना में बिहार शराबबंदी व मद्य निषेध अधिनियम उल्लंघन मामले के तहत प्राथमिक की दर्ज है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत न्यायिक हिरासत बेगूसराय भेज दिया गया है।

मारपीट कर झूठे मुकदमे में फंसाये जाने की साजिश

बेगूसराय/सं.। पिछले दिनों छौड़ाही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चंदन नामक एक कार्यकर्ता के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया। उक्त घायल युवक बेहोशी की अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती हुआ।इस घटना को झूठा साबित करने के लिए एक फर्जी हरिजन प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया और मीडिया को मैनेज करके उसे हाईलाइट करने का प्रयास किया। जानकारी मिलने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री अवधेश कुमार राय ने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और दोषी पर सख्त कार्रवाई का मांग की है।

अंग्रेजी शराब बरामद

मंझौल/बेगूसराय/सं.। मंझौल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सतियारा चौक मंझौल स्थित दुर्गा स्थान के पीछे एक घर में छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद किया है।इस संबंध में थानाध्यक्ष रीशु कुमारी ने बताया कि विक्रम कुमार उर्फ विक्रांत के घर तलाशी के दौरान घर में रखें ट्रंक से छ बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है।पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगायी डुबकी

नावकोठी/बेगूसराय/सं.। प्रखण्ड क्षेत्र अन्तर्गत श्रद्धालुओं ने वैशाख महीने की पूर्णिमा पर गंगा में लगायी डुबकी। इस दिन शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान करने का अलग ही महत्व है। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती और उनके निर्वाण दिवस दोनों के ही तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।इस दिन का काफी महत्व है।कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति,सद्भाव, त्याग,अहिंसा एवं संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है।

युवक की गोली मारकर हत्या

वीरपुर/बेगूसराय/संवाददाता। वीरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में एक खलिहान बांसबाड़ी में गुरुवार की दोपहर में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।हत्या की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों की भीड़ देखने के लिए घटनास्थल पर उमड़ पड़ी।मृतक की पहचान डीह पर वार्ड चार निवासी सिकंदर सिंह का 28 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार उर्फ तूफानी के रूप में हुई है।इधर घटना की सूचना पाकर वीरपुर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार,एसआई विरेन्द कुमार, एएसआई मदन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे सदर डीएसपी 2 भास्कर रंजन ने बताया कि प्रथम दृष्टया ताश व जुआ खेलने में आपसी कहासुनी में हुई विवाद में बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या का मामला प्रतीत लग रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से ताश का पत्ता, माचिस,पीने का शीशा ग्लास एवं प्लास्टिक का बोतल, खैनी की पुरिया, टेबलेट दवा का पत्ता बरामद किया है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक युवक नशा का आदी था।कुछ दिन पहले ही वह बाहर से अपना गांव आया था। मृतक दो भाइयों में से सबसे छोटा था। मृतक का माता पिता एवं उसका भाई सपरिवार बाहर में रहते हैं।मृतक के तीन संताने हैं। पत्नी समेत स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना को लेकर वीरपुर पुलिस गहनता से मामले की छानबीन में जुट गई है। घुटना को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है।

गंगा स्नान के दौरान युवक की मौत

गढ़हरा/बीहट/बेगूसराय/सं.। चकिया थाना अंतर्गत सिमरिया भोलास्थान घाट में गुरुवार की दोपहर एक युवक की स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। जिसकी पहचान गढ़हरा वार्ड 14 निवासी टेंट पंडाल संचालक स्व निरंजन सिंह एकलौता पुत्र करीब 30 वर्षीय नितेश कुमार के रूप में हुई।मौत की सूचना मिलते ही परिजनो के बीच कोहराम मच गया वहीं पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।सूचना मिलते ही चकिया थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। बताया जाता है कि किसी मित्र के साथ शिवालाघाट पर गंगा में स्नान के लिए कूदा।गंगा में कूदते ही वह दलदल में फंस कर गहरे पानी में डूब गया।शोर होने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटना स्थल पहुंचे। इधर मृतक के आवास पर दादी,माता,पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नितेश को एक 5 वर्षीया पुत्री व उससे छोटा एक पुत्र है।घटना के बाद शोकाकुल परिवार को ढांढस देने मृतक के घर पर जलेस के राज्य सचिव कुमार विनीताभ, छात्र नेता जिवेंद्र कुमार, शिक्षक नेता अरविंद सिंह, रवि कुमार, चंद्रदेव राय, राजकुमार प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, संतोष शर्मा, भाग्य नारायण कुंवर आदि पहुंचे।

रानी लक्ष्मीबाई शाखा की आवश्यक बैठक में दायित्व ग्रहण कराया गया

बेगूसराय/संवाददाता। भाविप परिवार बेगूसराय की रानी लक्ष्मीबाई शाखा की आवश्यक बैठक दीप प्रज्वलन,भारत माता व स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि पश्चात सामूहिक वंदेमातरम गायन के साथ प्रारम्भ हुई,जिसमें रानी लक्ष्मीबाई शाखा के सभी नवनिर्वाचित दायित्वधारीगण सहित कुल आठ सदस्यीय-समिति को प्रांतीय अध्यक्ष डॉ कान्ति मोहन सिंह तथा पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी गजेन्द्र प्रसाद सिंह के अवलोकन में पूर्व प्रांतीय संगठन-सचिव अशोक कुमार द्वारा दायित्व ग्रहण कराया गया।अध्यक्ष का दायित्व सरिता सुल्तानिया, सचिव किशोरी मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुभद्रा चौधरी, उपाध्यक्ष बिंदु चौधरी, बीना गुप्ता, सह सचिव सुमन मस्कारा, मीडिया प्रभारी सोनाली मस्कारा, को दिया गया साथ ही संरक्षक का दायित्व मंजू शंघाई एवं सुधा मस्कारा को दिया गया। इन सभी ने अपने दायित्वों को बखूबी निभाने का वचन दिया। प्रोफेसर आशा सिंह का सम्मान करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पूरी टीम उनकी गाइडलाइन में अपना कार्य करेंगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा कार्य संपन्न हुआ। साथ ही आगे के कार्य की रूपरेखा पर भी विचार हुआ। भारत विकास परिषद से शंभू कुमार, मनोज कुमार, अशोक सिंह, मोनिका हिसारिया, पिया, अनुष्का, बीना देवी, मीरा सिंह और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति और महिलाएं उपस्थित थी।

प्रेम में सौंदर्य है, माधुर्य है, प्रेम इनसान को भगवान बना देता है : डॉ राज मिश्रा

नावकोठी/बेगूसराय/संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकपुर पंचायत के चक्का ग्राम स्थित ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में चल रहे सात दिवसीय भागवत कथा के छठवें दिन बुधवार की देर संध्या में कथा वाचक डॉ आचार्य राज मिश्रा ने कथा वाचन करते हुए कहा कि प्रेम में सौंदर्य है। माधुर्य है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इस लिए जीवन में प्रेम का होना अनिवार्य है।वे भगवान और रुक्मिणी विवाह प्रसंग की चर्चा कर रहे थे।गोपियों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का औचित्य तब होता है जब व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है।मनुष्य के शरीर में जब तक सांस होती है तभी तक इस संसारिक दुनिया में सब कोई है।सांस समाप्त होते ही व्यक्ति ईश्वर लीन हो जाता है। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है।गोपियों के प्रेम की चर्चा करते हुए कहा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं। मोहन की मुरली में तो अजीब प्रेम है, आकर्षण है। गोपियां कहती हैं कि मोहन हर समय मुरली मत बजाया करो क्योंकि मुरली की ध्वनि से सभी जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन जड़ हो प्रेम भक्ति की रसधारा में निमग्न हो जाते हैं। खासकर भोजन बनाने के वक्त तो मुरली बजाने के लिए मना करती हैं।उस समय सभी जड़ पदार्थ चेतन हो जाते हैं फिर तो कार्य बाधित हो जाता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर राज्य आयुक्त स्काउट हाजीपुर का दौरा

बरौनी/बेगूसराय/सं.। भारत स्काउट एंड गाईड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा आगामी 26 से 30 जून तक होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने हाजीपुर से गढ़हरा राज्य आयुक्त स्काउट सह मुख्य अधिकारी अरविंद कुमार रजक एवं राज्य सचिव सह उप मुख्य सामग्री प्रबंधक जितेश कुमार मंडल पहुंचे।जिनका जिला संघ गढ़हरा में भव्य स्वागत किया गया।जिला आयुक्त स्काउट सह वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ कमल कुमार भगत,सहायक मंडल दूरसंचार अभियन्ता सह उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार,सहायक मंडल अभियन्ता पूर्व विकास चंद्र दत्ता ने संयुक्त रूप से अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया।राज्य आयुक्त ने कहा कि स्काउट एंड गाइड एक समावेशी संस्था है,जो समाज के हर तबका के लोगों को जोड़कर ,प्रशिक्षण देकर देश के होनहार बालक एवं बालिका के रूप में विकसित करती है।उन्होंने सभी लीडर्स से मिलकर प्रशिक्षण के सम्बंध में भी जानकारी ली तथा प्रशिक्षण को और आगे बढ़ाने हेतु इस पर कार्य करने हेतु निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गढ़हरा जैसी जगह में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे रेलवे के लिए गर्व की बात है।

महाविद्यालय में वर्ग कक्ष की जो समस्या है, उसे दूर करने की होगी कोशिश : प्राचार्य

एसबीएसएस कॉलेज का मनाया गया स्थापना दिवस

बेगूसराय/संवाददाता। शहर के प्रतिष्ठित स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पूर्व में यह महाविद्यालय को-ऑपरेटिव कॉलेज के नाम से जाना जाता था।स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय की स्थापना बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1970 में हुई थी।इसी लिए हर बार आज के दिन महाविद्यालय परिवार स्थापना परिवार को मनाता है।इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि बेगूसराय जिले के लगभग सभी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवा देने का अवसर मुझे मिला है।इस महाविद्यालय में आकर गौरव की अनुभूति हुई।उन्होंने कहा कि इस बार का समारोह इस मायने में विशेष है कि आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा, मौसम की समस्या और छुट्टी होने के बावजूद महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यार्थी उपस्थित हैं। आयोजन भले सादा हो लेकिन यह अवसर महाविद्यालय के विकास के रास्ते ले जाने के लिए संकल्प के समान है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में महाविद्यालय में वर्ग कक्ष की जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और विस्तार दिया जाएगा।

फार्मेट–सी–02

राजनीतिक दल का नाम:– लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास)
निर्वाचन का नाम:– लोक सभा आम चुनाव 2024
राज्य का नाम:– बिहार

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	प्रत्याशी का नाम	लंबित आपराधिक मामले		आपराधिक मामलों में दंडित किए जाने का विवरण		
			न्यायालय का नाम केश नं0 एवं स्थिति	संबंधित धाराएं एवं संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश की तिथि	अपराध एवं सजा का विवरण	अधिकतम सजा
1	16–वैशाली (सा0)	वीणा देवी	ए.सी.जे.एम.–प्रथम मुजफ्फरपुर। लंबित	188, 143/34 भा.द.वि. आदेश का उलंघन	कोई नही	कोई नही	कोई नही
2	16–वैशाली (सा0)	वीणा देवी	कोर्ट नं0–2 मुजफ्फरपुर। लंबित	171(ई)(एफ)(एच) भा.द.वि., 133 आर.पी. एक्ट गैरकानूनी भुगतान एवं अन्य	कोई नही	कोई नही	कोई नही
3	16–वैशाली (सा0)	वीणा देवी	ए.सी.जे.एम.–10(ई) मुजफ्फरपुर। लंबित	188 भा.द.वि. सरकारी आदेश का उलंघन	कोई नही	कोई नही	कोई नही

फार्मेट सी–।
(अभ्यर्थियों के लिए समाचार–पत्रों,टी0वी0 में प्रकाशन हेतु)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एंव अन्य बनाम भारत संघ एंव अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एंव पता:.....सुधाकर सिंह, ग्राम व पोस्ट–सहुका, थाना–रामगढ़, जिला–कैमूर (भभुआ)

राजनैतिक दल का नाम:.....राष्ट्रीय जनता दल

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहाँ "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम:..............लोक सभा........

* निर्वाचन क्षेत्र का नाम:..........33, बक्सर..................

मैं ....सुधाकर सिंह....(अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधि पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता/करती हूँ:

(क) लंबित आपराधिक मामलें

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	मामले की संख्या एंव मामले कि स्थिति	मामले(लों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(एं) एंव अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	अपर मुख्य न्या.द. मोहनिया	Rg.No.4660/2022	संज्ञान के पश्चात् उपस्थिति हेतु	269,270,271,188, 171(F)IPC &3 Bihar epidemic Act. 2020 &51 Disaster Act 2005 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं कोविड 19 गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप
2	मिस सनम हयात न्यायिक दण्डाधिकारी प्र. श्रेणी, गया	TR No.267/2019	आरोप के बिन्दु पर सुनवाई हेतु	420,406 भा0द0वि0 वि0 रा0 खाद्य नि0 का चावल जमा नहीं करने का आरोप
3	अपर मुख्य न्या.द.प्रथम कैमूर	Rg.No.36525/2014	साक्ष्य हेतु	341,342, 353, 290, 283, 143 भा0द0वि0 सड़क जाम कर यातायात बाधित करने का आरोप

(क) लंबित आपराधिक मामलें

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम एंव आदेश(शों) की तरीख(खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दण्ड
	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य	शून्य

OMKARA
Assets Reconstruction Private Limited

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U67100TZ2014PTC020363
कॉरपोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन. सी. केलकर मार्ग, आर. जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028
ईमेल: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com अधिकृत अधिकारी मो. नं.: +918657969231/+918657969233

अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
[अनुलग्नक-IV-ए]
(नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) के प्रावधान देखें)

प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी/प्रभारित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्तियों पर ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि., आगे, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (ओएआरपीएल), (ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट की क्षमता में कार्यरत) के अधिकृत अधिकारी ने भौतिक कब्जा कर लिया है, जिसने इंडसइंड बैंक लि. (नियोजक बैंक) से दिनांक 30.09.2021 को सुपुर्दगी अनुबंध के मार्फत नीचे उल्लेखित खातों के सम्पूर्ण बकाया ऋण के साथ नियोजक बैंक से अंतर्निहित जमानत को अधिकृत कर लिया है। फलस्वरूप, ओएआरपीएल ने नियोजक बैंक से अधिकार हासिल कर लिया है एवं बकाया रकम की वसूली तथा प्रतिभूति को जब्त करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी ने कर्जदार/गिरवीदाता/सह-कर्जदार से नीचे उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्ति का भौतिक कब्जे पर अधिग्रहण कर लिया है। ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी बकाया रकम की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों को बिक्री करना चाहते हैं तथा अतएव प्रत्याभूत सम्पत्तियों की खरीद के लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदाएं/बोलियां आमंत्रित की गई है।

नीचे उल्लेखित संबंधित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में ओएआरपीएल के प्रति संबंधित कॉलम में उल्लेखित बकाया रकम की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) एवं (4) के प्रावधानों के अधीन अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग कर सम्पत्तियों की **जैसे है जहां है, जैसे है जो है तथा वहां जो कुछ है तथा बिना किसी दायित्व के आधार पर** उसे बिक्री किया जाएगा। कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं, प्रतिभूतियों, स्वत्वाधिकारी, बकाया रकम, धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तारीख, कब्जा की तारीख, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि रकम, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तारीख एवं समय का विवरण नीचे उल्लेखित है:

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं के नाम	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का स्वत्वाधिकारी	31.03.2024 को बकाया रकम (रु. में)	मांग सूचना की तारीख	भौतिक कब्जा की तारीख	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बोली वृद्धि रकम (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	1. मैसर्स श्री साई पाटलीपुत्र इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) 2. विक्रमादित्य पांडे (निदेशक/गारंटर) 3. संतोष सिंह (निदेशक/गारंटर) 4. पंकज कुमार (निदेशक/गारंटर) 5. मनीता कुमारी (गारंटर)	मौजा-मैनपुरा, मोहल्ला-पटेल नगर, सहदेव पथ, थाना शास्त्री नगर, थाना नं. 02, सी.एस. प्लॉट नं. 1300 एवं 1301, खाता नं. 708 एवं 718, तौजी नं. 5563, वार्ड नं. 34/4/8, सर्कल नं. 267, होल्डिंग नं. 141ए/302, उप पंजीयक-पटना सदर, जिला पटना में स्थित भूमि पर निर्मित एवं तैयार साई प्रकाश एनक्लेव नामक भवन की तीसरी मंजिल पर लगभग 975 वर्ग फीट सुपर बिल्ट अप एरिया वाला रिहायशी फ्लैट नं. 302 रूपी सम्पत्ति के साथ भूतल पर फ्लैट नं. 302 के लिए एक आरक्षित कार पार्किंग की जगह (साथ में भूमि पर समानुपातिक हिस्सा) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा **घेरा एवं चौहद्दी निम्नानुसार उत्तर में:** अपार्टमेंट का साइड सेट एरिया **दक्षिण में:** साई प्रकाश अपार्टमेंट का फ्लैट नं. 303, **पूर्व में:** अपार्टमेंट का साइड सेट एरिया, उसके उपरांत शाखा सड़क, **पश्चिम में:** सीढ़ियां। सम्पत्ति का विवरण मनीता कुमारी के नाम पर वर्ष 2012 के विलेख सं. 28808 में विशेष रूप से विस्तारित तरीके से उल्लेखित है।	मनीता कुमारी	रु. 1,93,91,530 (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख इक्यानवे हजार पांच सौ तीस मात्र)	21.11.2019	27.11.2023	रु. 51,75,000.00 (रुपये इक्यावन लाख पचहत्तर हजार मात्र)	रु. 25,000/-	रु. 5,17,500.00 (रुपये पांच लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)	14.06.2024 को अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

खाता नं. : 055505010221, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट, बैंक : आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: आईसीआईसी0000555

भागीदारी के बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी के साथ जमा करने की अंतिम तारीख: 28.06.2024 को अपराह्न 5.30 बजे तक

ई-नीलामी की तारीख एवं समय: 01.07.2024 को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक

नीलामी के नियम एवं शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता (ओएआरपीएल) की वेबसाइट पर लिंक यानी http://omkaraarc.com/auction.php अथवा सेवा प्रदाता की वेबसाइट: http://www.bankeauction.com देखें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अधीन बिक्री के लिए सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) तथा प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदारों के लिए न्यूनतम 30 (तीस) दिनों की अनिवार्य सूचना है, जिसमें उपरोक्त उल्लेखित तारीख एवं समय को ई-नीलामी के जरिए नीलामी/बिक्री आयोजित करने की जानकारी दी जा रही है।

तारीख: 24.05.2024
स्थान: पटना, बिहार

हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
(ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)